



निविदा सूचना संख्या:- 04/2020-21

दिनांक

**अति-अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**


निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है:-

क.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू घनराशि (रु० लाख में)	धरोहर घनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण के कार्य हेतु इनर रिंग रोड प्रथम चरण के सर्विस रोड के किनारे 5000 वृक्ष लगाये जाने का कार्य। (भाग-1)	101.65	2,03,500/-	2800/-	01 माह (अनुरक्षण अवधि 2.5 वर्ष)	विशिष्ट श्रेणी वृक्षारोपण	खण्ड-2
2	आगरा इनर रिंग रोड फेस-1 की सेन्ट्रल वर्ज में गेप फिलिंग एवं अन्डरपास की रिक्त भूमि में तथा शास्त्रीपुरम योजना में वृक्षारोपण का कार्य। (भाग-2)	117.03	2,34,500/-	2800/-	01 माह (अनुरक्षण अवधि 2.5 वर्ष)	विशिष्ट श्रेणी वृक्षारोपण	

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 17.06.2020 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.06.2020 के अपराह्न 12:30 बजे से 16.06.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [www.adaagra.in](http://www.adaagra.in) पर देखी जा सकती है।

**नियम व शर्तें:-**

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 17.06.2020 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 अपराह्न खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 10.06.2020 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 16.06.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- (क)- वांछित धरोहर घनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010106535 (बैंक का नाम/पता -यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया ए.डी.ए ब्रांच जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर घनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख)- धरोहर घनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियंता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर घनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियंता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगे।
- प्राधिकरण में पंजीकृत टेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अर्न्तगत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी.सी.-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पेवर/हॉटमिक्स प्लाण्ट के कार्यो में केवल हाटमिक्स प्लाण्ट धारक टेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लाण्ट स्वामित्व का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।
- सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- 40 लाख से अधिक घनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदाये आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर घनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हस्तान्तरित की जा सके।
- जिन टेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होंगे व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
6-6-20

प्र० मुख्य अभियंता

पत्रांक : 61/डी/सी.ई/2020-21,  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : - 06/06/2020

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- सचिव/वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधिशासी अभियंता ई-टेन्डरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह वेबसाइट पर प्रकाशित करायें।
- जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायें।
- समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू समयांतगत अधि० अभि० ई-टेन्डरिंग को भिजवायें।
- नोटिस बोर्ड पर चरचा करने हेतु।



प्र० मुख्य अभियंता